

169

21/08/09

15749

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 65,69,583.00 रुपये। CHALLAN NO
स्टाम्प : 4,59,900.00 रुपये। N 165652/30X11.10

हैं कि सुखवीर सिंह पुत्र श्री काले सिंह निवासी ग्राम कवैडा बारसाबाद परगना
दादरी तहसील दादरी ब जिला गढ़मकुद नगर (फरीक अव्वल, विक्रेता)।

एवम

मैसर्स लमल बट्टा हाईटेक इमलपर्स प्रा0 लि0 उ3 कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस
कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक उ3, कम्युनिटी
सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक योग्य/क्रेता)।

21/08/09

For Upad Chandra

Authorised Signature



65695087 10000 ✓
 निमा 20 फीस रजि०
 जजरी 10029- मन्त्र लगभग 600
 श्री बुद्धजी (कि०)
 पुत्र श्री ... पेक्षा ...
 निवास ...
 ने कार्यालय सब रजिस्ट्रार दारदी जिला
 गौतम बुद्ध नगर ये आज दिनांक 20/12/10
 समय मध्य 5 बजे प्रस्तुत किया।

सब रजिस्ट्रार दार
 30/12/10

प्रमाणित

इस लक्षपत्र का संपादन एवं इसमें लिखे

जेवन्त मु० 65695087 निमा प्रमाणित

जिसमें से

गत मेरे समय पाकर उक्त ...

केवल ...
 ...
 ...
 ...

(सिमा)

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम कचैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०), कृषि भूमि खाता नं० 348 के खसरा नं० 73 रकबा 0.3790 हैक्टैर व खसरा नं० 852 रकबा 0.5750 है० कुल रकबा 0.9540 है० का 1/10 भाग यानि 0.0954 है० व खाता नं० 585 के खसरा नं० 67 रकबा 0.150 है० का सम्पूर्ण भाग व खाता नं० 562 के खसरा नं० 259 रकबा 0.4250 है० का 1/2 भाग 0.2125 है० इस प्रकार कुल रकबा 0.4579 है० प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतौनी 1409-1414 फसली जिसका फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का बैनामा हाजा में विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 8000000/- रुपये प्रति हैक्टैयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200/- रुपये प्रति हैक्टैयर की दर से अंकन 85,69,583/- रुपये (पैंसठ लाख उनहत्तर हजार पांच सौ तिरासी रुपये मात्र) में तय है और सरकारी स्टाम्प क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, गूदान, बक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

For Upad Chadha (H-Tech) Corporation Ltd.

Upad Chadha

Upad Chadha
Authorized Signer



(3)

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कहीं अन्य जगह आड, रहना, बय, हिबै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्धसरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व विजली या अन्य किसी प्रकार का ल्यूज है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

(6) विक्रीत मिलिक्यत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटी नहीं है हर प्रकार के बाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखित भूमि के संबंध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कंपनी आदि के एक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निभादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अगान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होंगे।

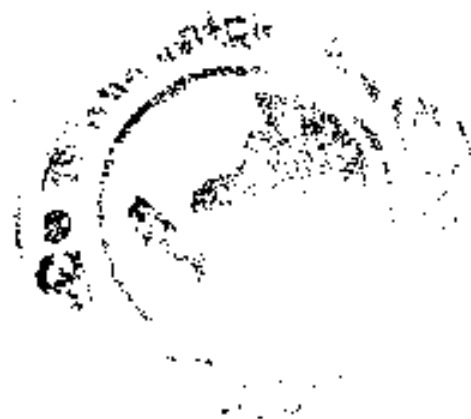
(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त भूमि खाता नं० 348 के खसरा नं० 73 रकबा 0.3/90 हैकटे० व खसरा नं० 852 रकबा 0.5750 है० कुल रकबा 0.9540 है० का 1/10 भाग यानि 0.0954 है० व खाता नं० 585 के खसरा नं० 67 रकबा 0.150 है० का सम्पूर्ण भाग व खाता नं० 582 के खसरा नं० 259 रकबा 0.4250 है० का 1/2 भाग 0.2125 है० इस प्रकार कुल रकबा 0.4579 है० स्थित ग्राम कयैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील व जिला गौतमबुद्ध नगर के अपने हिस्से पूर्ण भाग को बेवने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझ विक्रेता को वारंती सरकारी काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ

मुझ विक्रेता

For Deed Officer

Signature





(4)

इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक समिति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, कास्त भराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बढ़ा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशी अंकन 85,69,583/- रुपये (पैंसठ लाख उनहत्तर हजार पांच सौ तिरासी रुपये मात्र) जिसके आगे अंकन 32,84,791.50-(बत्तीस लाख चौरासी हजार सात सौ इक्क्यानवें रुपये पचास पैसे मात्र) होते हैं के एवज में बहाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त गैसर्स उम्पल चद्दा हाईटेक अवलपर्स प्राप लि० 33 कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली पैन नंबर AAACU7200M द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी को बंध कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नहीं रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा भौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहसियत मालकाना प्रयोग में लावें।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बाबत समस्त कागजात में बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते हैं, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला ओर निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी

पुनर्विक्रय



4/3/22

पुनर्विक्रय





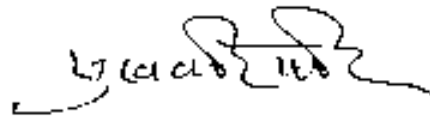
(5)

कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उराके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जे खर्चें प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसानकी चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(12) विक्रय पत्र का सगरत खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.4579 हेक्टेयर, खाता नं० 348 के खसरा नं० 73, 852 व खाता नं० 585 के खसरा नं० 67 व खाता नं० 562 के खसरा नं० 259 स्थित ग्राम कचैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:-



For Upset Chaudhary, the Developer, etc.,


Authorised Signatory





(6)

(15) बैंक ऐक्वेशन बैंक लि० गाजियाबाद शाखा गाजियाबाद का बैंक नंबर 363762 अंकन 65,69,583/- रुपये (पैंसठ लाख उनहत्तर हजार पांच सौ तिरासी रुपये मात्र) दिनांकित 30.12.10 फरीक अपील द्वारा अंतिम रूप से प्राप्ता कर ली गयी है।

दिनांक 30.12.2010

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Signature

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अपील (मिफेदा)

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक दायम (क्रेता)

मसौदा नं० 1
उद्दीष्ट/न्यायादेश

उद्दीष्ट न्यायादेश डा० सुखवीर सिंह
अ. नं० 1 अन्तर्गत कानूनी सहायता
मात्र प्राप्त



मसौदा नं० 2
Uthmaniyah

हिमालय न्यायादेश डा० सुखवीर सिंह
अ. नं० 1 अन्तर्गत कानूनी सहायता/मात्र
प्राप्त



तहरीरी दिनांक 30.12.2010 मसौदा तेजेंद्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद

Tejendra Singh
Advocate
Civil Court, GZ



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AA 153035

Stamp duty paid in cash certificate in favour of-M/S UPPAL CHADDHA
HI-TECH DEVELOPERS PVT.LTD.,33,COMMUNITY CENTRE,NEW
FRIENDS COLONY , NEW DELHI

In pursuance of the order of the collector

N0...memo....dated.30.12.10 passed under

Section A of the stamp act. It is certified that an

amount of Rs.4,60,000-00(In words Rs.Four lacs sixty thousand only)

has been paid in cash as stamp duty in respect

of this instrument in the State bank of India/

Treasury/Sub treasury, NOIDA

By Challan No...N163632. dated.30.12.10

A copy of which is annexed herewith.

30/12/2010

Dated

Senior Treasury Officer
Gautam Budh Nagar

नं. 863 रु. 20/-
 किया गया। ने शामिल
 23 DEC 2010
 रोकाईया
 ★ कोषागार/गौतम बुद्ध नगर ★

M/S Updel Chakraborty Hitech Developers
 Pvt. Ltd. Noida

30/12/10
 पुस्तक संख्या II मण्डल संख्या 3086
 के फुल III परकम संख्या 11297
 पर सीसीडीए दिया गया।

उप निदेशक
 नवीन

